राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रदीप मित्तल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/25	1295/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख़ारिज फरमा दिया परन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुन: प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया | न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष रेस्पो. द्वारा अपील पेश किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रेस्पो. के चाहे गये अनुतोष को प्रदान कर दिया था | इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07/03/2018 को अन्तरिम आदेश प्रदान किये जाने के पश्चात भी रेस्पो. द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया, जो क़ानूनी प्रावधानों के विपरित है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब वाद का अवलोकन किये बगैर ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए निर्णय दिनांक 04/06/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुयो प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन/विश्लेषण किये बगैर ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04/06/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 58/1, 58/2 के सन्दर्भ में पेश किया गया था एवं रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नया प्रार्थना पत्र विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 57, 59, 68 के सम्बन्ध में किया गया है | रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दुसरे प्रकरण में निर्णय के माध्यम से देखा नही जा सकता है क्योकि खसरा नम्बर अलग-अलग है | रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 58/1 व 58/2 की भूमि के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का अंकन किया गया | अधीनस्थ	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रदीप मित्तल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पारित की गयी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन बार्ड नही है | रेसज्यडीकेटा का नियम वहा लागू होता है, जहाँ प्रकरण का अन्तिम निर्णय किया जा रहा हो | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा अन्तिम स्टेज पर है | मोनू वल्द बीजा पिसरान रामनाथ की 30 बीघा 08 बिस्वा भूमि है | विवादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2,13,14, 12 कुल 4 खसरो का भी 30 बीघा 08 बिस्वा बनता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04/06/2025 पारित किया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है | चूँकि विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल घोषणा का वाद लम्बी अवधि से लम्बित चल रहा है एवं घोषणा का बिन्दु वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त साक्ष्य-सबूत के आधार पर तय होना है किन्तु घोषणा के बिन्दु तय होने से पूर्व ही यदि विवादित भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण होता है अथवा कृषि से अकृषि में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयाँ उत्पन्न होकर रेस्पो. को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04/06/2025 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

11/9/25

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर